



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 09 अगस्त 2025 ई० (श्रावण 18, 1947 शक संवत्) [संख्या 32

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	429—432	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	847—878	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1231-1250	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

प्रोन्नति

20 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 144/2024/2590/23-3-2024-47(ईएस)/2006 टी0सी0-II-श्री श्रीराज के दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को प्रमुख अभियंता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यों के सुचारु सम्पादन हेतु पूर्व में निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से अस्थायी व्यवस्था के तहत अग्रिम आदेशों तक प्रमुख अभियन्ताओं के मध्य निम्नवत् कार्य आवंटित किया जाता है—

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	2	3
सर्वश्री—		
1	संजय प्रताप सिंह	प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
2	श्रीराज	प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)
3	मुकेश चन्द्र शर्मा	प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)

26 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 149/2024/2607/23-3-2024-19(ईएस)/2024—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सत्यवीर सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-2059) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री सत्यवीर सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 150 / 2024 / 2608 / 23-3-2024-19(ईएस) / 2024—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री नरेश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2143) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री नरेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 151 / 2024 / 2609 / 23-3-2024-19(ईएस) / 2024—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री मुन्नी लाल वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-2158) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— प्रश्नगत प्रोन्नति रिट याचिका संख्या-21743/2015 मुन्नीलाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2— श्री मुन्नी लाल वर्मा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 152 / 2024 / 2610 / 23-3-2024-19(ईएस) / 2024—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री देवेन्द्र कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2244) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री देवेन्द्र कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 153 / 2024 / 2611 / 23-3-2024-19(ईएस) / 2024—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विपिन कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2257) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री विपिन कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 154/2024/2612/23-3-2024-19(ईएस)/2024—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सतीश कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2257) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री सतीश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 09 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 18, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ।

13 नवम्बर, 2024 ई०

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

सं० वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2024/4376—दिनांक 15 नवम्बर, 2024 को कार्तिक पूर्णिमा, दिनांक 24 नवम्बर, 2024 को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को काला दिवस, दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 को क्रिसमस-डे व दिनांक 01 जनवरी, 2025 को नव वर्ष आदि पर्व आयोजित होंगे साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं अमित वर्मा, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ—

1— विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा—

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2— राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास नो फ्लाइंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3— लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6— किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7— कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे— तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8— कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9— कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11— सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

12— लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13— लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14— लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे— जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तत्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा।

16— परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17— कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या

समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 12 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक नवम्बर 13, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

11 जनवरी, 2025 ई0

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2025/89-दिनांक 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक महाकुम्भ, दिनांक 13 जनवरी, 2025 को लोहड़ी, दिनांक 14 जनवरी, 2025 को मकर संक्रान्ति/हजरत अली जन्मदिवस, दिनांक 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस, दिनांक 29 जनवरी, 2025 को मौनी अमावस्या, दिनांक 03 फरवरी, 2025 को बसन्त पंचमी, दिनांक 12 फरवरी, 2025 को माघी पूर्णिमा, दिनांक 26 फरवरी, 2025 को महाशिवरात्रि तथा दिनांक 13/14 मार्च, 2025 को होली आदि पर्व आयोजित होंगे साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं, आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं अमित वर्मा, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ—

1— विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगा गाड़ी तथा आग्नेयाश्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा—

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2— राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास नो फ्लाइंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3— लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6— किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7— कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे— तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8— कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9— कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11- सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

12- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14- लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे- जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तत्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा।

16- परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17- कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये। उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी।

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 13 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक जनवरी 11, 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

12 मार्च, 2025 ई0

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2025/599—दिनांक 14 मार्च, 2025 को होली रंगोत्सव, दिनांक 22 मार्च, 2025 को शीतला अष्टमी, दिनांक 28 मार्च, 2025 को अलविदा नमाज, 30 मार्च, 2025 के चैत्र नवरात्रि प्रारम्भ, 31 मार्च, 2025 को ईद-उल-फितर, दिनांक 06 अप्रैल, 2025 को रामनवमी, दिनांक 10 अप्रैल, 2025 को महावीर जयन्ती, 14 अप्रैल, 2025 को अम्बेडकर जयन्ती, 18 अप्रैल, 2025 को गुड फ्राइडे, दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को परशुराम जयन्ती, दिनांक 09 मई, 2025 को महाराणा प्रताप जयन्ती, दिनांक 12 मई, 2025 को बुद्ध पूर्णिमा आदि पर्व आयोजित होंगे साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं अमित वर्मा, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ—

1— विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा—

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिग्टन चौराहा तक।

बर्लिग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2— राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास नो फ्लाईंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3— लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6— किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7— कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे— तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8— कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9— कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11— सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

12— लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14- लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे-जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिशनरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तत्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा।

16- परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17- कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी।

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिशनरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 14 मार्च, 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 12 मई, 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक मार्च 12, 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

अमित वर्मा,
संयुक्त पुलिस आयुक्त,
कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ।

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती**आदेश**

21 जून, 2022 ई0

सं0 908/UP51T-8949 मैक्सी कैब/पंजीयन निरस्त/22 वाहन UP51T-8949 प्रकार मैक्सी कैब चेचिस संख्या-MA1FB2MCRD6J30666 इंजन नम्बर MCD6J31743 मॉडल 2013 वाहन माह दिनांक 20.08.2019 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वहान के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री राधेश्याम मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम व पोस्ट-मझौवामीर थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 20.08.2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या-6468 दिनांक 11.09.18 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21.06.2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 20.08.2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरुण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-8949 प्रकार मैक्सी कैब का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 20.08.2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है, संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियम (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(अरुण प्रकाश चौबे)

कर पंजीयन अधिकारी,

मोटर वाहन विभाग, बस्ती।

आदेश

30 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1824/UP53AT-2580 ट्रक/पंजीयन निरस्त/24-वाहन UP53AT-2580 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या BPA074845 इंजन नम्बर GPH448797 मॉडल 2008 वाहन माह दिनांक 31.03.2019 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र बहादूर सिंह, ग्राम व पोस्ट-महुआडाबर, थाना-गौर जनपद बस्ती, ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 31.03.2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1412 दिनांक 03.10.2024 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 29.11.2024 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 31.03.2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP53AT-2580 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 31.03.2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। किसी भी स्रोत से वाहन संचालन की पुष्टि होती है/संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा कर अपलेखन तिथि से कर एवं शास्ति जमा करने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की ही होगी। पंजीयन अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपलेखन तिथि से जो भी कर बकाया होगा उसके सम्बन्ध में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

(पंकज सिंह)
पंजीयन अधिकारी
मोटर वाहन विभाग, बस्ती।

आदेश

07 जनवरी, 2025 ई0

सं0 2086/UP78AT-4140/पंजीयन निरस्त/24- वाहन सं0 UP78AT-4140 प्रकार गुड्स कैरियर ट्रक चेचिस संख्या-426021CUZ003133 व इंजन नम्बर 50C62395362 मॉडल 2005 है। पंजीकृत वाहन स्वामी श्री राजेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री बजरंगीलाल जायसवाल, निवासी-पाण्डेय बाजार, मेंहदावल रोड, पोस्ट व थाना-पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन कबाड़ में कट जानें के कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है। वाहन का पंजीयन संख्यांक निरस्त कर दिया जाय। वाहन का टैक्स दिनांक 31.12.2024 तक जमा है। वाहन चेचिस का टुकड़ा वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 31.12.2024 को कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाहन आस्तित्व विहीन हो चुकी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP78AT-4140 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
बस्ती।

आदेश

07 जनवरी, 2025 ई0

सं0 2087/UP51BT-2377 पंजीयन निरस्त/24- वाहन सं0/UP51BT-2377 प्रकार ई-रिक्शा चेचिस संख्या-MIYDECB12821T1455 व इंजन नम्बर DEAYM21455 मॉडल 2022 है। पंजीकृत वाहन स्वामी श्री बृजनाथ गुप्ता पुत्र श्री जवाहरलाल गुप्ता, निकट-सुन्दर टाकीज, स्टेशन रोड, पोस्ट व थाना-पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन कबाड़ में कट जाने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है। वाहन का पंजीयन संख्यांक निरस्त कर दिया जाय। वाहन का टैक्स दिनांक 31.12.2024 तक जमा है। वाहन के चेचिस का टुकड़ा वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 31.12.2024 को कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाहन आस्तित्व विहीन हो चुकी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51BT-2377 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
बस्ती।

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

व्यवस्थापन-(घ) वर्ग

कार्यालय-ज्ञाप

12 मार्च, 2024 ई0

सं0 718 व्यघ/09 व्यघ/2014-लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सि0) जिन्हें, प्रथम वैयक्तिक वेतनमान अथवा द्वितीय वित्तीय स्तरोंनयन के रूप में ग्रेड वेतन रु0 5,400/- प्राप्त हो रहा है, को कार्मिक विभाग की राजाज्ञा संख्या-1661/47-का-4-44 ई0एम0/85, दिनांक 11 मार्च, 1991 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-796(1)/दस-62(एम)/2008, टी0सी0 दिनांक 31 मई, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं इनके सम्बन्ध में वरिष्ठ स्टाफ आफीसर, परिवाद (क) वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। इन आदेशों के फलस्वरूप नामांकित अवर अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा:-

क्रम सं0	अवर अभियन्ता का नाम	संवर्ग	विभाग में योगदान की तिथि	सहायक अभियन्ता का वेतनमान, ग्रेड वेतन रु0 5,400/- प्राप्त करने की तिथि	तैनाती खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री-					
1	शशि कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री शिव प्रसाद विश्वकर्मा	सिविल	26.05.2007	26.05.2023	निर्माण खण्ड, सोनभद्र
2	प्रसेनजित विक्रम वेद पुत्र श्री बजरंग शरण वेद	सिविल	25.08.2006	25.08.2022	निर्माण खण्ड-1, कानपुर देहात

संजय कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ।

हमीरपुर के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

30 जनवरी, 2024 ई०

सं० 459/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम दरियापुर तहसील हमीरपुर जनपद हमीरपुर की गाटा संख्या-311ग रकवा 0.247 हे० में से 0.100 हे० मालियत 1,10,000/- (मु० एक लाख दस हजार रुपये मात्र) को होम्योपैथिक चिकित्सालय दरियापुर हेतु आयुष अनुभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	दरियापुर	311ग	0.247 हे० में से 0.100 हे०	बंजर	होम्योपैथिक चिकित्सालय, दरियापुर हेतु आयुष अनुभाग के पक्ष में।

03 फरवरी, 2024 ई०

सं० 484/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम दरियापुर तहसील हमीरपुर जनपद हमीरपुर की बंजर श्रेणी के गाटा संख्या-311ग रकवा 0.247 हे० में से 0.085 हे० एवं बीहड़ श्रेणी के गाटा सं०-311मि रकवा 2.942 हे०

में से 0.320 हे0 कुल 0.405 हे0 की मालियत 4,45,500/- (मु0 चार लाख पैतालीस हजार पाँच सौ रुपये) हैं, को गौ आश्रय स्थल हेतु पशुपालन विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर—		
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	दरियापुर	311ग	0.247 में से 0.085	बंजर	गौ आश्रय स्थल हेतु पशुपालन विभाग के पक्ष में।
					311मि	2.942 में से 0.320 हेक्टेयर	बीहड़	
				योग.		0.405		

राहुल पाण्डेय,
जिलाधिकारी, हमीरपुर।

जालौन के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

22 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 491/आठ-डी0एल0आर0सी0—उपजिलाधिकारी उरई, की आख्या दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 एवं भूमि प्रबन्धक समिति चौरसी के प्रस्ताव दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा ग्राम चौरसी में अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत उरई नगर पालिका परिषद पेयजल पुनर्गठन योजना में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) उरई, की माँग पर ग्राम में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी 6-4 खलिहान की भूमि की गाटा संख्या 472 क्षेत्रफल 1.298 हे0 में से 0.090 हे0 को ग्राम में ही उपलब्ध श्रेणी 6-4 की भूमि गाटा संख्या 448/6 क्षेत्रफल 1.853 हे0 में से 0.090 हे0 बेहड़ से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है।

शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101 (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन निःशुल्क किया जायेगा। अतः उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है, को भूमि प्रबन्धक समिति चौरसी द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी, उरई, द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत् अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	मौजा	श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण			श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण			विवरण— (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
				गाटा सं०	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	गाटा सं०	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				हेक्टेयर			हेक्टेयर			
1	जालौन	उरई	चौरसी	472	1.298 में से 0.090	6-4 / खलिहान	472	0.090	6-4 / बेहड़	अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत उरई नगर पालिका परिषद पेयजल पुनर्गठन योजना में जलकल प्रांगण में OHT एवं CWR निर्माण हेतु (उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय)
2				448/6	1.853 में से 0.090	6-4 / बेहड़	448/6	0.090	6-4 / खलिहान	

साथ ही यह भी आदेश प्रदान करता हूँ कि उपजिलाधिकारी उरई उपरोक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार विनिमय करते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें। उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उन्हें उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

02 मार्च, 2024 ई0

सं० 553/आठ-डी0एल0आर0सी0—उपजिलाधिकारी कालपी की आख्या दिनांक 28 फरवरी, 2024 एवं भूमि प्रबन्धक समिति कुटरा मुस्तकिल के प्रस्ताव दिनांक 10 फरवरी, 2024 द्वारा ग्राम हररायपुर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोहरापुर के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी जालौन स्थान उरई की माँग पर

ग्राम में ग्राम हररायपुर में श्रेणी 5-2/पुरानी परती भूमि की गाटा संख्या 875 क्षेत्रफल 0.138 हे0 का पुनर्ग्रहण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राजेश कुमार पाण्डेय, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण— (प्रयोजन जिसके लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	जालौन	कालपी	कालपी	हररायपुर	कुटरा मुस्तकिल	875	हेक्टेयर 0.138	5-2/ पुरानी परती	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सोहरापुर (आयुष विभाग उ0प्र0)

उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

राजेश कुमार पाण्डेय,
जिलाधिकारी,
जालौन।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

19 जून, 2025 ई0

सं0 3174/वि0भू0अ0अ0-बहराइच—निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा श्रावस्ती एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम खरगूपुर, कटरा व बिदुहनी परगना व तहसील इकौना, जनपद-श्रावस्ती में स्थित 8.7330 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत

जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-2709/वि0भू0अ0अ0-बहराइच/2024-25 दिनांक 27 फरवरी, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अंतिम रूप से राजकीय गजट उ0प्र0 में दिनांक 07 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया है। उपजिलाधिकारी इकौना को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक/उपजिलाधिकारी इकौना की आख्या दिनांक 18 जून, 2025 के अनुसार ग्राम खरगूपुर, कटरा व बिदुहनी में एयरपोर्ट विस्तारीकरण में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित गाटाओं के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति/परिवार पुनर्स्थापन हेतु पात्र नहीं पाया गया है। अतः परियोजना प्रभावित ग्रामों खरगूपुर, कटरा व बिदुहनी में कोई भी पुनर्स्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ बहराइच/श्रावस्ती द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09 मई, 2025 पर विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित ग्राम खरगूपुर, कटरा व बिदुहनी परगना व तहसील इकौना, जनपद-श्रावस्ती में स्थित की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	श्रावस्ती	इकौना	इकौना	कटरा	1325	0.0900
2					1327	0.0400
3					1328	0.2110
4					1329	0.0230
5					1375	0.0020
6					1375	0.0020
7					1375	0.0010
					योग.	0.3690
1				खरगूपुर	158	0.4390
2					166	0.7570
3					197	0.3150
4					201	0.4150
5					227	0.1980
6					228	0.2890

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
7	श्रावस्ती	इकौना	इकौना	खरगूपुर	263	0.0523
8					263	0.0872
9					263	0.0523
10					263	0.0523
11					263	0.0523
12					263	0.0872
13					263	0.0871
14					263	0.0523
15					281	0.0395
16					283	0.1672
17					300	0.1620
18					300	0.0885
19					300	0.0885
20					306	0.0202
21					313	0.0200
22					313	0.0162
23					328	0.0336
24					329	0.0040
25					330	0.0101
26					509	0.0026
27					509	0.0007
28					509	0.0005
29					509	0.0002
30					509	0.0005
31					509	0.0007
32					509	0.0002
33					511	0.0018
34					511	0.0010
35					511	0.0038
36					511	0.0003
37					511	0.0006
38					511	0.0009
39					511	0.0003

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
40	श्रावस्ती	इकौना	इकौना	खरगूपुर	560	0.0108
41					560	0.0107
42					560	0.0108
43					560	0.0108
44					560	0.0107
45					560	0.0107
46					560	0.0107
47					560	0.0108
48					560	0.0107
49					578	0.0018
50					582	0.0007
51					587	0.0303
52					596	0.0027
53					599	0.0055
54					604	0.0205
55					605	0.0308
56					605	0.0307
57					610	0.0045
58					610	0.0023
59					610	0.0088
60					610	0.0007
61					610	0.0015
62					610	0.0023
63					610	0.0022
64					610	0.0007
65					157 आं०	0.0680
66					159 आं०	0.8000
67					159 आं०	0.1450
68					179 आं०	0.1070
69					179 आं०	0.7000
70					238 आं०	0.0075

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
71	श्रावस्ती	इकौना	इकौना	खरगूपुर	238 आं०	0.1845
72					238 आं०	0.0075
73					238 आं०	0.2155
74					547 / 2	0.0020
75					637 आं०	0.1200
					योग . .	6.1996
1				बिदुहनी	471	0.0010
2					471	0.0010
3					471	0.0005
4					471	0.0005
5					473	0.0002
6					473	0.0013
7					480	0.0240
8					492	0.0003
9					492	0.0003
10					591	0.0048
11					591	0.0142
12					591	0.0047
13					599	0.0001
14					599	0.0013
15					622	0.0400
16					660	0.0400
17					663	0.0050
18					665	0.1178
19					667	0.4955
20					679	0.0220
21					681	0.0013
22					957	0.0015
23					1559	0.0077
24					1569	0.0525

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
25	श्रावस्ती	इकौना	इकौना	बिदुहनी	1569	0.0525
26					1577	0.0006
27					1577	0.0005
28					1577	0.0011
29					1578	0.0042
30					1578	0.0034
31					1579	0.5200
32					1583	0.0023
33					1583	0.0022
34					1583	0.0045
35					1517 आं0	0.0070
36					1517 आं0	0.5540
37					1554 आं0	0.0126
38					1571 / 1701	0.0168
39					1571 / 1701	0.0169
40					472 / 1703	0.0053
41					633 आं0	0.1200
42					958 आं0	0.0030
योग . .						2.1644
कुल योग . .						8.7330

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	श्रावस्ती	इकौना	इकौना	कटरा	शून्य	शून्य
2				खरगूपुर	शून्य	शून्य
3				बिदुहनी	शून्य	शून्य

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा श्रावस्ती कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
श्रावस्ती।

प्रारूप-18

(नियम-20 का उपनियम (2)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

01 जुलाई, 2025 ई0

संख्या 95/आठ-अ०जि०अ० (भू०अ०)/नोएडा/गौतमबुद्धनगर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु राजस्व ग्राम कामबक्शपुर की 2.2261 हेक्टे० भूमि के निर्माण हेतु समुचित सरकार कलेक्टर की राय है, कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सुनियोजित विकास हेतु नियोजित भूमि के निर्माण राजस्व ग्राम कामबक्शपुर, परगना व तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 2.2261 हेक्टे० भूमि की आवश्यकता है।

2. सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी, जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या-1059 दिनांक 04 जुलाई, 2024 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-
जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा के सुनियोजित विकास हेतु राजस्व ग्राम कामबक्शपुर की 2.2261 हेक्टे० भूमि की **(Absolute bare minimum)** न्यूनतम आवश्यकता बतायी गयी है। इससे कम सीमा तक परियोजना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।
4. भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।
5. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क (8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
6. अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गौतमबुद्धनगर	सदर	सदर	कामबक्शपुर	74 M	0.3714
				75 M	0.0927
				90 M	0.0040
				91 M	0.1300

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गौतमबुद्ध नगर	सदर	सदर	कामबक्शपुर	96 M	0.3920
				98 M	0.4923
				99 M	0.1857
				100 M	0.0630
				101 M	0.0126
				106 M	0.0394
				107 M	0.0047
				295 M	0.4383
				योग.....	2.2261

7. अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

8. अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9. अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(बच्चू सिंह)

कलेक्टर

भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ।

FORM-18**[Sub-rule (2) of rule 20]****PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR****[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013]****GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**

01 July, 2025

NOTIFICATION

NO.: 95/8-ADM(LA)/Noida/Gautambudh Nagar -Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, for development of 2.2261 hectare land of revenue Village Kambakshpur by Noida Industrial Development Authority in Gautam Buddha Nagar district, the appropriate Government/Collector is of the opinion that for development of planned land for planned development through Noida Industrial Development Authority, a total of 2.2261 hectare land of revenue Village Kambakshpur, Pargana and Tehsil Sadar, Gautam Buddha Nagar district is required.

2- Social Impact Assessment study was carried out by Gautam Buddha University District Gautmbudh Nagar as Social Impact Assessment agency and submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved the recommendations vide Letter No. 1059 Dated 04.07.2024.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follow:-

In Gautam Buddha Nagar district, Noida Industrial Development Authority has stated the absolute bare minimum requirement of 2.2261 hectares of land of revenue Village Kambakshpur for the planned development of Noida. There are no other options available for acquiring land less than this limit for the project.

4- Due to land acquisition, no family is being displaced in the said Village.

5- The Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka(8)/2014 dated August 06, 2014 has provided that the Assistant collectors or Deputy Collector as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed "Administrator for Rehabilitation and Resettlement of the affected families within the respective territorial Jurisdictions thereof. According to the said Govt. order, the Deputy Collector Sadar, District Gautambudh Nagar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families within the respective territorial Jurisdiction.

6- Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect)
1		3	4	5	6
G.B. Nagar	Sadar	Sadar	Kambakshpur	74 M	0-3714
				75 M	0-0927
				90 M	0-0040
				91 M	0-1300
				96 M	0-3920
				98 M	0-4923
				99 M	0-1857
				100 M	0-0630
				101 M	0-0126
				106 M	0-0394
				107 M	0-0047
				295 M	0-4383
				Total	2.2261

7- The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

8- Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9- Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

By Order
Bachchu Singh,
Collector,
for the Purpose of Land Acquisition.

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

अधिसूचना

दिनांक 01/08/2025

पत्रांक 19/नियोजन/म0वृ0वि0प्रा0/2025-26-चूंकि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1559/आठ-3-23-172 विविध/2016 टी0सी0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-03 दिनांक 05 जुलाई, 2023 के क्रम में निजी विकासकर्ता M/s Hoabl Impactum Lands (Lead Member) व 03 अन्य कन्सोर्सियम सदस्य कम्पनी (1. मे0 इम्पैक्टम लैण्डस प्रा0 लि0, 2. जनाडू रियलटी, 3. टूमारो कैपीटल इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0) को तहसील-सदर, जिला-मथुरा की भूमि ग्राम-जुलहैंदी व ग्राम-कोनई की कुल क्षेत्रफल 61.78 एकड़ (25.00 हेक्टे0) भूमि पर आवासीय टाउनशिप विकसित करने के लिए प्राधिकरण के पत्र संख्या-2742 दिनांक 13.12.2024 द्वारा लाईसेंस निर्गत किया गया। तदोपरान्त प्राधिकरण की 106 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23 मई, 2025 के मद संख्या-4/106 पर लिये गये निर्णय के क्रम में मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा-वृन्दावन महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) में विकासकर्ता उपरोक्त कन्सोर्सियम की सदस्य कम्पनी मे0 इम्पैक्टम लैण्डस प्रा0 लि0 की क्रीत भूमि ग्राम जुलहैंदी व ग्राम-कोनई की कुल 24.1166 हेक्टे0 भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के लिये दिनांक 30.05.2025 एवं दिनांक 05.06.2025 को राष्ट्रीय समाचार-पत्र "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान" में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

चूंकि उपर्युक्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत जनसामान्य से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-03 के शासनादेश संख्या-आई/508639/2024 (फाईल संख्या : 8-3099/1811/2020) दिनांक 29.02.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अधीन प्रस्तावित टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ अथवा इससे अधिक होने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए महायोजना में कृषि भू-उपयोग होने की दशा में आवासीय में परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिनियम की धारा-51(1) के अधीन निहित शासन की शक्तियों का प्रतिनिधायन प्राधिकरण बोर्ड को किया गया है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिनियम की धारा-51(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बोर्ड, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अनुमोदन दिनांक 01 अगस्त, 2025 के क्रम में मथुरा-वृन्दावन महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्याओं के सम्मुख अंकित भू-उपयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	संस्था के स्वामित्व वाली भूमि का क्षेत्रफल	मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नेट कृषि भूमि का क्षेत्रफल (4-5)	म.वृ. महा०-2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
			हेक्टे०	हेक्टे०	हेक्टे०		
1	जुल्हैदी	63	4.8633	—	4.8633	कृषि	आवासीय
2	„	66क	0.4160	—	0.4160	कृषि	आवासीय
3	जुल्हैदी	66	1.8980	—	1.8980	कृषि	आवासीय
4	„	67	0.5550	—	0.5550	कृषि	आवासीय
5	„	68	2.1160	—	2.1160	कृषि	आवासीय
6	„	69	1.6276	—	1.6276	कृषि	आवासीय
7	„	70	2.0101	—	2.0101	कृषि	आवासीय
8	„	87 / 1	0.3400	—	0.3400	कृषि	आवासीय
9	„	87 / 2	0.3400	—	0.3400	कृषि	आवासीय
10	„	89	6.6075	—	6.6075	कृषि	आवासीय
11	„	90 / 1	0.1740	—	0.1740	कृषि	आवासीय
12	„	90 / 2	0.1740	—	0.1740	कृषि	आवासीय
13	„	91	0.5770	—	0.5770	कृषि	आवासीय
14	„	93 / 1 क	0.5945	0.0485	0.5460	कृषि	आवासीय
ए-योग ...			22.2931	0.0485	22.2446	—	—
15	कोनई	786	0.5300	—	0.5300	कृषि	आवासीय
16		795	1.3420	—	1.3420	कृषि	आवासीय
बी-योग...			1.8720		1.8720		
कुल ए + बी योग			24.1651	0.0485	24.1166		

श्याम बहादुर सिंह,
(आई०ए०एस०)
उपाध्यक्ष,
मथुरा-वृन्दावन विकास
प्राधिकरण, मथुरा।

MATHURA–VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA**NOTIFICATION**

Date: 01 August, 2025

No. 19/Planning/M.V.D.A./2025–26—Whereas, under the Uttar Pradesh Township Policy 2023 and in accordance with Government Order No. 1559/8-3-23-172 Miscellaneous/2016 T.C. Housing and Urban Planning Section-03 dated 05 July 2023, a license has been issued *via* Authority letter no. 2742 dated 13 December 2024 to consortium of private developers M/s Hoabl Impactum Lands (Lead Member) and 03 other member companies (1. M/s Impactum Lands Pvt. Ltd., 2. Janadu Realty, 3. Tomorrow Capital Enterprises Pvt. Ltd.) for developing a residential township at Village-Julhendi and Village-Konai, Tehsil Sadar, District-Mathura, for total area 61.78 acres (25.00 hectares). Thereafter as per decision taken regarding Item No. 4/106 in the 106th Board Meeting of Mathura-Vrindavan Development Authority, held on 23 May 2025, public notices regarding the proposed conversion of land use from Agricultural to Residential over an area of 24.1166 hectares which has been purchased by M/s Impactum Lands Pvt. Ltd. a member of above developer consortium in accordance with the Revised Master Plan 2031 were published in national newspapers ‘Amar Ujala’ and ‘Hindustan’ on 30 May 2025 and 05 June 2025 respectively.

Since no objection was received from the general public within the time specified regarding the notification published in the above newspaper, the formation of the committee was not required. As per Government Order No. I/508639/2024 (File No. 8-3099/1811/2020) dated 29.02.2024 of the Government of Uttar Pradesh, Housing and Urban Planning Section-03 the powers of the government vested under Section 51 (1) of the Act have been delegated to the Board of Authority to take action for conversion of Agricultural land use into Residential in the master plan, following the procedure prescribed under Section 13 of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973), if the area of the proposed township under the Uttar Pradesh Township Policy-2023 is 50 acres or more.

Now therefore, exercising the power provided under section 51(1) of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Act (re-enacted with modifications) 1947 (Uttar Pradesh Act No. 30 of 1974), following the procedure prescribed under section 13 of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Act (re-enacted with modifications) 1947 (Uttar Pradesh Act No. 30 of 1974), in order to approval of Mathura-Vrindavan Development Authority's Board dated 01.08.2025, the following amendment are made in the land use of Mathura-Vrindavan Master Plan-2031 (Revised) regarding Khasra-numbers mentioned in the schedule below :—

SCHEDULE

Sl. No.	Village Name	Khasra No.	Area of Land owned by firm	Area required for Road Widening	Net Area of Agricultural land for land use conversion Area	Present Landuse As per Mathura-Vrindavan Master Plan-2031(Revised)	Proposed Landuse
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>	<i>Hectare</i>		
1	Julhendi	63	4.8633	-	4.8633	Agricultural	Residential
2	„	66ka	0.4160	-	0.4160	Agricultural	Residential
3	„	66	1.8980	-	1.8980	Agricultural	Residential
4	„	67	0.5550	-	0.5550	Agricultural	Residential
5	„	68	2.1160	-	2.1160	Agricultural	Residential
6	„	69	1.6276	-	1.6276	Agricultural	Residential
7	„	70	2.0101	-	2.0101	Agricultural	Residential
8	„	87/1	0.3400	-	0.3400	Agricultural	Residential
9	„	87/2	0.3400	-	0.3400	Agricultural	Residential
10	Julhendi	89	6.6075	-	6.6075	Agricultural	Residential
11	„	90/1	0.1740	-	0.1740	Agricultural	Residential
12	„	90/2	0.1740	-	0.1740	Agricultural	Residential
13	„	91	0.5770	-	0.5770	Agricultural	Residential
14	„	93/1ka	0.5945	0.0485	0.5460	Agricultural	Residential
Sub Total (A)			22.2931	0.0485	22.2446		
15	Konai	786	0.5300		0.5300	Agricultural	Residential
16		795	1.3420		1.3420	Agricultural	Residential
Sub Total (B)			1.8720		1.8720		
Grand Total (A+B)			24.1651	0.0485	24.1166		

Shyam Bahadur Singh,
(I.A.S.)
Vice Chairman,
Mathura-Vrindavan Development
Authority, Mathura.

प्रारूप-19**नियम-27 का उपनियम (1)****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा****(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)****सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश****अधिसूचना**

दिनांक 28 जुलाई, 2025

सं0 449/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2025-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग एवं द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्मल (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्मल, तहसील-सम्मल, परगना-सम्मल ग्राम छचैरा में कुल 0.0318 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-53/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2024 दिनांक 06 अगस्त, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13.11.2024 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद-सम्मल, तहसील-सम्मल, परगना-सम्मल, ग्राम-छचैरा की 0.0318 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु सम्मल कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ निम्न है—

अनुसूची-क**(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)**

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
सम्मल	सम्मल	सम्मल	छचैरा	367	0.0288
				733क	0.0030
योग:—					0.0318

अनुसूची-ख**(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)**

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

----- विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य" -----

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत,

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-**सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-छचैरा की 0.0318 हे०** भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 53 दिनांक 06.08.2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से
ह० (अस्पष्ट)
.....
कलेक्टर।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

Date : July 28, 2025

NOTIFICATION

No. 449/VIII-S.L.A.O./Muradabad/2025—Whereas Preliminary notification no. 53 dated August 06, 2024 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0318 hectares of land in Village-CHHCHERA, Pargana-SAMBHAL, Tehsil-SAMBHAL, DISTRICT-SAMBHAL is required for public purpose, namely, project MADHYA GANGA CANAL PHASE 2nd through IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH THROUGH EXECUTIVE ENGINEER MADHYA GANGA CANAL CONSTRUCTION DIVISION-9, SAMBHAL (Name of requiring body) and lastly published on dated The Deputy Collector/Assistant Collector Was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of 0.0318 hectares in Village CHHCHERA, Pargana-SAMBHAL, District-SAMBHAL as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Sambhal to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA (IN HECT.)
	2	3	4	5	6
SAMBHAL	SAMBHAL	SAMBHAL	CHHCHERA	367	0.0288
				733क	0.0030
TOTAL ...					0.0318

SCHEDULE-B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECT.)
1	2	3	4	5	6

----- NO. OF DISPLACED FAMILIES IS "ZERO" -----

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector SAMBHAL for the purpose of acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

{UNDER SUB. SECTION (2) OF SECTION THE/ACT}

U.P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD.09, Sambhal By the order of declaration made under Government notification no date for 0.0318 hectares of land in Village CHHCHERA, Pargana-SAMBHAL, District- SAMBHAL is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal project (Stage. II) through Canal Construction (name of requiring body), I hereby published the declaration made there in and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A Summary of Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

.....

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

By Order,
(Sd.) Illegible,
Collector.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 09 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 18, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर

28 अप्रैल, 2025 ई०

सं० 169/न०पा०प०शि/2024-दिनांक 13 फरवरी, 2025 उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298, 298(2) सूची के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद् शिकारपुर, बुलन्दशहर की सीमा हेतु “विकसित कॉलोनी एवं भवन मानचित्र उपविधि 2025” की बोर्ड बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2024 के विशेष प्रस्ताव सं०-01 नगर पालिका परिषद् शिकारपुर द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 उपविधि कहलायी जायेगी। नगर पालिका परिषद् शिकारपुर की सीमान्तगत “विकसित कॉलोनी एवं भवन मानचित्र उपविधि 2025” हेतु निम्न विहित रीति से तैयार कराकर हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में दिनांक 14 फरवरी 2025 एवं बुलन्द संदेश समाचार-पत्र में दिनांक 14 फरवरी, 2025 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस व्यक्ति को उक्त उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के कार्यालय में सूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप से कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु प्रकाशन के निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यालय नगर पालिका परिषद् शिकारपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के प्रस्ताव सं० 02 द्वारा यह अपनी मूल रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, यह उपविधि गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नगर पालिका परिषद् शिकारपुर विकसित कॉलोनी एवं भवन मानचित्र उपविधि 2025

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रसार—

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिकारपुर विकसित कॉलोनी एवं भवन मानचित्र उपविधि 2025 कहलायगी।

2. इस उपविधि का प्रसार नगर पालिका परिषद् शिकारपुर विकसित कॉलोनी एवं भवन मानचित्र 2025 के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के भवनों/भूमि पर होगा।

3. यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

1. परिभाषायें

1. अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2. परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिड़की, छत इत्यादि सभी सम्मिलित है।

3. बेसमेंट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशतः भूतल के नीचे के निर्माण से है।

4. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

5. अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

6. बोर्ड से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

7. अनुज्ञापन अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् शिकारपुर से है।

8. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

9. नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन का अभिप्राय नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।

2. भवन मानचित्र के लिए नियम शर्तें देय शुल्क निम्न प्रकार से होगा—

1. आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु आच्छादित क्षेत्रफल पर देय शुल्क निम्न प्रकार होगा

क्र०सं०	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
		रु०
1	0—900 वर्ग फुट तक	3,500 प्रथम तल
2	901—1,800 वर्ग फुट तक	04 प्रति वर्ग फुट
3	1,800 वर्ग फुट से ऊपर	3.50 प्रति वर्ग फुट
4	खुला क्षेत्र	02 प्रति वर्ग फुट

2. (क) व्यवसायिक भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु आच्छादित क्षेत्रफल पर देय शुल्क निम्न प्रकार होगी।

क्र०सं०	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
		रु०
1	0—900 वर्ग फुट तक	4000 प्रथम तल
2	901—1800 वर्ग फुट तक	4.5 प्रति वर्ग फुट
3	1800 वर्ग फुट से ऊपर	3 प्रति वर्ग फुट
4	खुला क्षेत्र	2 प्रति वर्ग फुट

3. आच्छादित क्षेत्र पर निर्मित होने वाली आवासीय एवं व्यवसायिक भवन की दूसरी व तीसरी तथा अन्य मंजिलों के लिये उपरोक्त दरों का 1/2 भाग देय होगा।

4. भवन में तयखाना/बेसमेंट बनाये जाने की स्थिति में बेसमेंट के क्षेत्रफल का रु0 10/ प्रतिवर्गफुट शुल्क नगर पालिका को अलग से देना होगा।

5. नेशनल बिल्डिंग कोड एक्ट के अन्तर्गत ही भवन निर्माण किया जायेगा।

6. इन दरों में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।

7. व्यावसायिक भवन निर्माण में दुकान, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के लिए इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। व्यवसायिक भवनों में मानचित्र स्वीकृति की उक्त दरे लागू होगी।

8. धार्मिक तथा धर्मार्थ एवं जनउपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर रु0 02 प्रति वर्ग फुट तथा बेसमेंट रु0 03 प्रति वर्ग फुट की दर से देय होगा।

नोट:- धार्मिक प्रयोजनार्थ निर्मित होने वाले भवनो के धार्मिक संस्था के स्वामी प्रबंधक को शपथ-पत्र के साथ नगर पालिका के दो सदस्यों के इस आशय से प्रमाण-पत्र देना होगा, कि उक्त धार्मिक भवन निर्माण मात्र धार्मिक अथवा मूर्ति प्रयोग के उद्देश्य से किया जा रहा है।

9. भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 फुट से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिल भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

10. निर्मित किये जाने वाले भवनों में 100 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल संचयन हेतु सोकपिट का निर्माण करना अनिवार्य होगा। 200 वर्ग गज के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत कंक्रीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 200 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के लिए छत वर्षा, जल संचयन प्रणाली/रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा।

11. वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री) आदि हो उनमें नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मुत्रालयों की उचित व्यवस्था तथा वैदैनिक सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

12. ऐसे समस्त भवनो जिनके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

13. पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन का निर्माण उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एवं गिरजा घर आदि से 200 मीटर अर्धव्यास में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

14. उपर्युक्त धार्मिक स्थल निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

15. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में दी गयी मानचित्र स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

16. नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के संशोधन एवं नवीनीकरण के आवेदन-पत्र पर पूर्व की धनराशि का 1/2 देय होगा।

17. प्रत्येक प्रकार की चार दिवारी के लिए प्रथम 900 वर्ग फुट तक के लिए रु0 1,000 तथा उससे अतिरिक्त भाग पर रु0 500 प्रति 450 वर्ग गज तक की दर से शुल्क देय होगा।

18. यह भी उपबन्धित किया जाता है, कि यदि कोई व्यक्ति अपने भवन प्रक्षेप आदि का मानचित्र नगर पालिका मानचित्रकार से न बनवाकर यदि अन्य किसी मानचित्रकार से तैयार कराता है, उक्त मानचित्र पालिका को मान्य नहीं होगा।

19. उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

20. नगर पालिका परिषद् शिकारपुर की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पालिका परिषद् शिकारपुर के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस अथवा अवर अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

21. शौचालय सैप्टिक टैंक आदि प्रत्येक नक्शे के लिये रु0 200 शुल्क लगेगा तथा सम्मिलित शौचालय सैप्टिक टैंक आदि पर रु0 500/- शुल्क लगेगा।

22. नगर पालिका केवल उन्हीं मानचित्रों पर विचार करेगी जो कि नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/लाइसेंसधारी/मानचित्रकार नगर पालिका के अवर अभियन्ता द्वारा बनाए गये हों।

23. मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्तें नगर पालिका कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

24. प्रत्येक मानचित्र के आवेदन का शुल्क 900 वर्ग फुट तक रु0 100 प्रति मानचित्र तथा 900 वर्ग फुट से अधिक 300 रुपए प्रति मानचित्र पर देय होगा। जिसका भुगतान आवेदक द्वारा नगर पालिका कार्यालय में किया जाएगा।

25. आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र बनाने हेतु नक्शा नफीस/मानचित्रकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दरें वसूलने की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में मानचित्रकार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। निर्धारित दरें निम्न प्रकार हैं—

क्र0सं0	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
		रु0
1	0—900 वर्ग फुट तक	3500 अधिकतम प्रथम तल,
2	901—1800 वर्ग फुट तक	04 अधिकतम प्रति वर्ग फुट
3	1800 वर्ग फुट से ऊपर	03 अधिकतम प्रति वर्ग फुट
4	खुला क्षेत्र एवं बारुण्डीवॉल	02 अधिकतम प्रति वर्ग फुट
5	अन्य तलों के लिए	प्रथम तल का 1/2 भाग

26. व्यवसायिक भवन निर्माण के मानचित्र बनाने हेतु नक्शा नफीस/मानचित्रकार को निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा

क्र0सं0	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
		रु0
1	0—900 वर्ग फुट तक	3,500 अधिकतम प्रथम तल
2	901—1800 वर्ग फुट तक	4 अधिकतम प्रति वर्ग फुट
3	1800 वर्ग फुट से ऊपर	03 अधिकतम प्रति वर्ग फुट
4	खुला क्षेत्र एवं बारुण्डीवॉल	02 अधिकतम प्रति वर्ग फुट
5	अन्य तलों के लिए	प्रथम तल का 1/2 भाग

27. निकाय बोर्ड द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जा सकती है लेकिन इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कटौती अथवा कमी नहीं की जा सकती है।

04 मानचित्र स्वीकृति हेतु अपेक्षाएं

(1) स्थल मानचित्र— एक हेक्टेयर तक मानचित्र न्यूनतम 1:500 के पैमाने पर, एक हेक्टेयर से अधिक के मानचित्र न्यूनतम 1:1000 के पैमाने पर तैयार किए जायेंगे और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जायेंगे:—

1. प्रस्तावित निर्माण के सीमावर्ती भूमि पर भवनों की स्थिति।
2. प्रस्तावित भवन/भवनों हेतु मुख्य सड़क से पहुँच की सुविधा।
3. अबाध संवातन, प्रकाश एवं सफाई हेतु भवन के अन्दर तथा भवन के चारों ओर छोड़े जाने वाला खुला क्षेत्र, सेट-बैक (भवन के सामने, पार्श्व एवं पीछे) तथा पार्किंग स्थल, आदि।
4. विद्यमान भौतिक संरचनाएं तथा नालियों आदि।
5. जल-सम्भरण लाईने तथा डिस्चार्ज बिन्दु तक मल निस्तारण, एवं जल निकास लाइन एवं रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था।
6. पैमाना और उत्तर दिशा-सूचक।

(2) भवन मानचित्र — भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जायेंगे :—

1. समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।
2. भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग।
3. जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।
4. सेक्शन ड्राइंग में स्पष्ट रूप से पदाधार (फुटिंग) के आकार, तहखानों की दीवारों की मोटाई, तल, स्लैब, छत, दरवाजे, खिड़कियों के आकार, भवन और कमरों तथा पैरापिट की ऊँचाई, जल निकास और छत की ढाल प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक सेक्शन, जीने एवं मशीन रूम से होगा।
5. सभी सड़कों की ओर के एलीवेशन।
6. टैरेस प्लान में जल-निकास और छत की ढाल।
7. उत्तर दिशा-सूचक और प्रयुक्त पैमाना।

(3) बहुमंजिले एवं विशिष्ट भवन:—

1. चार मंजिले से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग फुट से अधिक हो, के भवन मानचित्रों में नेशनल विल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 की अपेक्षाओं के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दर्शाना आवश्यक होगा—

(क) अग्निशमन संयंत्र एवं वाहनों के पहुँच मार्ग, वाहनों के मुड़ने के स्थान, भवन के चारों ओर वाहनों के आवागमन हेतु सर्कुलेशन क्षेत्र तथा पार्किंग व्यवस्था।

(ख) फायरएस्केप, स्टेयरकेस।

(ग) मुख्य सीढ़ियों का आकार (चौड़ाई) तथा उसके साथ बालकनी, कॉरिडोर व लॉबी से प्रवेश के विवरण।

(घ) लिफ्ट के प्राविधान सहित, लिफ्ट कक्ष की स्थिति।

(च) कचरा डालने का कक्ष, शूट्स तथा सर्विस डक्ट्स।

(छ) वातानुकूलित पद्धति, फायर डैम्पर, यान्त्रिक संवातन पद्धति, विद्युत सेवाएं तथा सभी सेवाओं के पाईप्स, आदि।

(ज) विद्युत एलार्म पद्धति का विवरण।

(झ) स्थाई पानी की टंकी तथा उसकी क्षमता।

(अ) रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था।

2. भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं यथा—वाटरवर्क्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं क्लवर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत सब-स्टेशन, विद्युत टावर, छविगृह, आडिटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाएं, बस टर्मिनल जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग फुट से अधिक हो (चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो), इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भू-स्वामी/ बिल्डर, पंजीकृत आर्कीटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहर युक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जायेगा।

04 स्वामित्व प्रमाण-पत्र:— नगर पालिका द्वारा मानचित्र पर विचार करने से पूर्व निम्नलिखित स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:—

1. मूल विक्रय पत्र (पट्टा की प्रमाणित प्रति/अभिलेख)
2. नगर पालिका द्वारा वांछित अन्य कोई विलेख।

05 स्वामित्व प्रमाण-पत्र:— नक्शा स्वीकृत/अनुज्ञा की प्रक्रिया:—

1—आवासीय भवन—

(1) 300 वर्ग फुट क्षेत्रफल तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र दाखिल किए जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएंगे, यदि मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो तथा उस पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण भवन उपविधियों के अनुसार है। किन्तु विभिन्न मदों में वांछित शुल्क यथा-मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, आदि नियमानुसार जमा कराना आवश्यक होगा।

06 अन्य भवन—

(1) व्यवसायिक, कार्यालय, तथा अन्य के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे परन्तु 30 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से (1 निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई हो, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जायेगा, बशर्ते वह मयन उपविधियों के अनुसार हो। स्वतः स्वीकृत के मामलों में सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में लेखा लिपिक व अवर अभियन्ता के अतिरिक्त एक अन्य कर्मचारी नामित होगा जो कि स्थल पर जाकर मौका मुआयना करेगा। यह समिति मानचित्रों का परीक्षण कर स्वीकृति हेतु अधिशासी अधिकारी को अपनी संस्तुति देगी।

नोट:— यदि किसी भवन हेतु कोलोनाइजर द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु अन्य विभाग से भी अनापत्ति-प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।

(3) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भी मानचित्र 90 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जाएंगे कि निर्माणकर्ता ऐसे विभाग, जिनकी अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर अपने रिस्क पर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ कर सकता है, परन्तु उस अनापत्ति हेतु अन्य सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें और उसमें लगाई गई शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करें।

(4) ऐसे भवनों को कम्प्लीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किए जाएंगे जब इन सभी विभागों की अनापत्ति निर्माणकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली गई हो।

(5) विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आंतरिक परिवर्तन से सम्बन्धित मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण भवन उपविधि, संरचनात्मक स्थिरता तथा अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार है, निर्धारित शुल्क सहित नगर पालिका में जमा किये जाने पर औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि नगर पालिका में मानचित्र जमा करने की रसीद ही मानचित्र स्वीकृति की प्रमाण-पत्र होगी। परन्तु जमा किये गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित वास्तुविद एवं भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जाएगा तथा मौके पर निर्माण व जमा मानचित्र से, भिन्नता पाए जाने की स्थिति में निर्माणकर्ता/भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जाएगा और दोनों ही स्थितियों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लिफ्ट लगाये जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से भिन्न परिवर्तन हेतु सम्बन्धित मानचित्र निर्धारित शुल्क सहित आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से नगर पालिका में स्वीकृति हेतु जमा किया जा सकता है।

(6) ऐसे भवन जिनमें अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य हो, आवश्यक रूप से नगर पालिका द्वारा गठित तकनीकी समिति के माध्यम से जांचोपरांत ही स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाएंगे।

7. तयखाना/बेसमेंट—

1. बेसमेंट का प्रत्येक घटक जमीन से कम से कम 2.5 मी0 ऊपर होना चाहिए, तथा छत 4.5 मीटर से अधिक ऊंची नहीं हो सकती।
2. बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए।
3. किसी भी बेसमेंट की छत कम से कम 0.9 मी0 और अधिकतम 1.2 मीटर ऊंची होनी चाहिए।
4. एक उपर्युक्त तंत्र को सतही जल निकासी को तयखाने में प्रवेश करने से रोकना चाहिए।
5. सतही जल निकासी को बेसमेंट में प्रवेश करने से रोकने के लिये एक उपर्युक्त तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए।
6. यदि नगर पालिका बेसमेंट विभाजन की अनुमति देती है, तो प्रत्येक कम्पार्टमेंट कम से कम 50.0 वर्ग मीटर हो सकता है।

8. गैरेज—

1. जमीनी स्तर पर गैरेज की लैथ आसपास की जमीनी स्तर से कम से कम 15 सेमी ऊपर होनी चाहिए।
2. गैराज को इमारत में प्रवेश द्वारों में बांधा नहीं डालना चाहिए, और इसे प्लॉट से सटी सड़क की बिल्डिंग लाईन से पीछे की ओर रखा जाना चाहिए। नगर पालिका गैरेज के मालिक या अधिभोगी को आदेश दे सकता है, कि वह गैरेज के रूप में इसका उपयोग करना बन्द कर दें। सम्पत्ति में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन करें, या सड़क पर यातायात के लिये खतरे या बांधा को रोकने के लिये नगर पालिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कदम उठाये, यदि गैरेज को निर्देशानुसार पीछे नहीं रखा जाता है।

विकसित कॉलोनी मानचित्र स्वीकृति हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु

सड़कें, पाथवेज तथा साईकिल ट्रैक्स

आवासीय भू-उपयोग

आवासीय भू-उपयोग (ग्रुप हाउसिंग सहित) के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा।

- (1) 200 मीटर तक लम्बे पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर होगी, तथा 201–400 मीटर तक 9 मीटर, 401–600 मीटर तक 12 मीटर एवं 601–1000 मीटर तक 18 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होगी।

(2) लूप स्ट्रीट की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 400 मीटर होगी।

(3) पार्क/खुले स्थल से सटी हुई सर्विस रोड तथा ऐसी सड़क जिसके केवल एक ओर ही भूखण्ड प्रस्तावित हों, की चौड़ाई 6 मीटर रखी जा सकती है, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।

(4) 6 मीटर चौड़ा मार्ग जो सीधा हो तथा एक छोर से बन्द हो (डेड एण्ड स्ट्रीट), यहाँ मोड़ के लिए न्यूनतम 6 मीटर के अर्ध व्यास वाले पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। परन्तु 25 मीटर तक लम्बाई की डेड एण्ड स्ट्रीट में कल-डी-सैक की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) बल्क सेल के रूप में आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मी. एवं 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मी. होगी तथा योजनान्तर्गत आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी. होगी।

टिप्पणी :-

(1) उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से कम होने पर पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर होगी।

(2) दुर्बल/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजनाओं में उक्त आय वर्गों के आवासों के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा दिए जाने पर वाहनों के उपयोग में आने वाले मार्ग न्यूनतम 5 मीटर चौड़े होंगे। पैदल मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मार्ग के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर 3 मीटर तथा दोनों ओर भू-खण्ड होने पर न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी। 3 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े मार्ग की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी। कोई भी आवासीय इकाई 9 मीटर चौड़े मार्ग से 150 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी।

(3) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

अनावासीय

भू-उपयोग

(1) अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू-उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी। 201 से 400 मीटर लम्बी सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होगी और 401 से 1000 मीटर तक लम्बी सड़क की चौड़ाई 24 मीटर होगी तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बी सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी।

(2) अन्य मार्गों की चौड़ाई महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

सड़कों के संगम

(1) यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेंगी तथा क्रास जंक्शन पर समस्त सड़कों की मध्य रेखाओं का एलाइन्मेंट एक सीध में होगा।

(2) 30 डिग्री से कम के कोण पर प्रस्तावित सड़कों की अनुज्ञा तभी दी जाएगी, जब यातायात के परिचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो और आवश्यक वीबिंग लेन्थ उपलब्ध हो।

(3) सड़कों के जंक्शन्स इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।

(4) 18 मीटर तक चौड़ी सड़कों (मेटल भाग) के मिलन बिन्दु पर न्यूनतम 4.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर न्यूनतम 6 मीटर के अर्ध-व्यास की गोलाई होगी।

(5) 18 मीटर से कम चौड़ी सड़कों में दो 'टी-जंक्शन' के माध्य न्यूनतम दूरी, जंक्शन पर मिलने वाली अधिक चौड़ी सड़क (वाइडर रोड) की चौड़ाई का ढाई गुना होगी।

(6) 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर जंक्शन के मध्य परस्पर न्यूनतम दूरी निम्नानुसार होगी :-

(क) 18 मीटर से 24 मीटर तक 150 मीटर,

(ख) 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क तक 300 मीटर।

सड़क की लम्बाई की गणना

सड़क की लम्बाई की गणना उस मार्ग से अधिक चौड़े मार्ग के मिलन बिन्दु से की जायेगी।

ब्लाक लेन्थ

भू-खण्डीय विकास में ब्लाक की अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।

ड्रेनेज व्यवस्था

ड्रेनेज व्यवस्था हेतु नालियों सड़क का अभिन्न अंग होंगी तथा उनमें पर्याप्त ढाल होगा. ताकि जल की निकासी स्वतः हो सके।

अन्य अपेक्षाएँ

सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जायेंगे अथवा पाथ-वे का प्राविधान किया जायेगा। ऐसे पाथ वे परफोरेटेड सामग्री से निर्मित होंगे या "ब्रिक-आन-एज" / "श्लूज स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जायेगा, ताकि ग्राउण्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

साईकिल ट्रैक

योजनाओं का ले-आउट में 18.0 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर साईकिल ट्रैक का प्राविधान किया जायेगा। साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान निम्नवत होगी-

साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान

आई.आर.सी. 11-1962 के Draft Revision में मानकों के अनुसार साईकिल ट्रैक के निर्माण हेतु निम्न विशिष्टियाँ/प्राविधान होंगे। यदि आई.आर.सी.: 11-1962 के संशोधित ड्राफ्ट आने पर किसी मद का प्राविधान आई.आर.सी. कोड में भिन्न है, तो आई.आर.सी. कोड के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

Design

(A) Width

Desirable Lane Width

Arterial Roads & Sub Arterial Roads	2.5 m
Distributory Roads	1.5 to 2.5 m

उप-विभाजन तलपट मानचित्र

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएँगे:-

- (1) पैमाना तथा उत्तर दिशा—सूचक।
- (2) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
- (3) भू-खण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा भू-खण्डीय विकास की पद्धति यथा रो-हाउसिंग, सेमी-डिटेच्ड अथवा डिटेच्ड।
- (4) सर्विसेज प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक सर्विसेज सामुदायिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ, आदि एवं इनकी बाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
- (5) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भू-खण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (6) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भू-खण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएँ तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन में प्रस्तावित हो), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।
- (7) निर्मित क्षेत्र में स्थित भू-खण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त (i) से (vi) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शायी जाएगी।
- (8) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।

लैण्डस्केप प्लान –

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी :-

- (i) 6 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक और तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (ii) औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन भी आवश्यक होगा जिसमें कुल खुले स्थल के भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएँगे।
- (iii) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
- (iv) वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
- (v) संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएँ, क्रीडास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (vi) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जाएँगे।
- (9) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएँगे :-

(क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/हाइड्रोलॉजीकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

(ख) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के लेआउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व स्टेगनेशन का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के “सरफेस-रन-आफ” को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैपट बनाए जाएँ। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैपट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।

(ग) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5% प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव परमीएबिल या “सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लॉक्स” के प्रयोग से ही बनाए जाएँ। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

(घ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सकें।

(ङ) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भू-खण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।

(च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

जनसंख्या घनत्व एवं आंकलन

(1) भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ले-आउट प्लान हेतु नए/अविकसित क्षेत्र में अधिकतम घनत्व 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा तथा निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में घनत्व महायोजना के अनुसार होगा।

(2) ग्रुप हाउसिंग के लिए नए/अविकसित क्षेत्र में अधिकतम 1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (200 इकाइयाँ प्रति हेक्टेयर) घनत्व अनुमन्य होगा। निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में जोनल प्लानधले- आउट प्लान अनुमोदित होने की एवं विक अनुमोदित जोनल/ले-आउट प्लान के अनुसार घनत्व अनुमन्य होगा अन्यथा अधिकतम घनत्व 150 इकाई प्रति हेक्टेयर अनुमन्य होगा।

(3) “जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेतु (ग्रुप-हाउसिंग सहित 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 150 को मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाइयाँ, 150 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाइयाँ, 300

वर्गमीटर से अधिक एवं 2000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रति 100 वर्गमीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 20 इकाईयों के आधार पर जनसंख्या का आंकलन किया जायेगा।

कॉलोनी विकसित करने हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर देय शुल्क पालिका को निम्न प्रकार देय होगा।

क्र०सं०	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
1	खुला क्षेत्र एवं बाऊण्ड्रीवॉल	02 रुपये प्रति वर्ग फुट

कॉलोनी के मानचित्र बनाने हेतु नक्सा नफीस/मान(चित्रकार) को शुल्क निम्न प्रकार देय होगा

क्र०सं०	आच्छादित क्षेत्रफल	देय शुल्क
1	खुला क्षेत्र एवं बाऊण्ड्रीवॉल	01 रुपये प्रति वर्ग फुट

नोट:— कॉलोनी मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त कॉलोनी में बनने वाले भवन, व्यावसायिक, औद्योगिक दुकान, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि का मानचित्र पालिका से स्वीकृत कराना अनिवार्य है।

9. निर्माण अनुज्ञा-पत्र की वैधता—

(1) समस्त भवनों हेतु एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी।

(2) 1 वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर नगर पालिका ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, एक बार में एक वर्ष के लिए अधिकतम 3 बार स्वीकृति के नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क लेकर दे सकता है।

10. निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना—अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना नगर पालिका शिकारपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी।

11. पूर्व में निर्मित भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रक्रिया:— यदि कोई व्यक्ति पूर्व में निर्मित आवासीय भवन का नक्शा पास कराने हेतु नगर पालिका कार्यालय में आवेदन-पत्र देता है तो उसे 200 गज तक अधिकतम 5000/— रु० प्रति तल तथा 200 गज से अधिक क्षेत्रफल पर अधिकतम रु० 8,000/— प्रति तल शमन शुल्क के साथ इस उपविधि में दी गयी दरो के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके साथ ही रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर नगर पालिका द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा। व्यावसायिक भवनों पर 100 गज तक अधिकतम 5,000/— रु० प्रति तल तथा 100 गज से अधिक क्षेत्रफल पर अधिकतम 8000/— रु० प्रति तल शमन शुल्क तथा शापिंग माल/मार्केट पर शमनीय शुल्क रु० 50,000 होगा। ऐसे सभी नक्शों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को होगा।

12. मानचित्रकार/ड्राफ्टमैन/नक्सा नफीस को नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया:—

1. नगर पालिका परिषद, शिकारपुर के नक्शा नफीसो मानचित्रकारों को 10,000/— रुपये शुल्क लेकर एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) तक हेतु लाइसेंस जारी होगी। प्रत्येक 5 वर्ष बाद निर्धारित शुल्क के 20% प्रतिशत की वृद्धि रहेगी।

2. नक्शा नफीसो/मानचित्रकारों के पास भारत सरकार द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

3. अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापन निर्गत करने से पूर्व अभ्यर्थी से उसके चरित्र व योग्यता के विषय में ऐसे एवं अन्य तत्सम्बन्धी विवरण, जिन्हे वह उचित समझे मांग सकता है।

4. नगर पालिका सीमान्तर्गत कोई भी मानचित्रकार बिना नगर पालिका की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये नक्सा बनाने का कार्य नहीं करेगा।

13. अपराधों का शमन:—

1. इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध के शमन की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शिकारपुर द्वारा की जा सकेंगी।

2. शमन योग्य निर्माण से सम्बन्धित अपराध का शमन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अभियुक्त आगे गतिमान नहीं रखेगा तथा अशमनीय अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य अथवा उपरोक्त शमनीय अपराध का शमन करने के आदेश देने वाले अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो 45 दिन से अधिक न होगी, समाप्त कर देगा, अन्यथा उसके विरुद्ध पुनः विधिक कार्यवाही एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु नगर पालिका परिषद शिकारपुर स्वतन्त्र होगी।

14. अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करना—

(1) अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य के शमन की अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने में अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा कोई प्राधिकृत कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि:—

1. अवैध निर्माण कहाँ किया गया है यथा बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल या अनुवर्ती तलों पर तथा संलग्न भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, प्रकाश एवं संवातन व गोपनीयता पर उसका क्या प्रभाव है ?

2. क्या बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य सीमा से अधिक किया गया है, यदि हाँ तो संलग्न सम्पत्तियों एवं विद्यमान अवस्थापन सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव है ?

3. क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है, यदि हाँ, तो वर्तमान में शमन किये जाने का औचित्य ?

4. क्या निर्माण विद्यमान बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है. यदि हाँ तो उसका क्या प्रभाव है?

5. क्या निर्माण रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट से प्रभावित है, यदि हाँ तो क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति ली गयी है.?

15. निम्नलिखित अपराध शमनीय नहीं होंगे:—

1. सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा—सड़क, रेलवे लाइन, पार्क ग्रीनवर्ज आदि हेतु आरक्षित अथवा उनसे सम्बन्धित भूमि पर किया गया निर्माण।

2. ले-आउट प्लान अथवा मानचित्र के विपरीत किया गया निर्माण।

3. अवैध भूखंड पर अथवा भवन में किया गया निर्माण।

4. सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनुमति से किया गया निर्माण।

5. विवादित भूमि पर किया गया निर्माण।

6. स्टिलट फ्लोर तथा पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

7. भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से ऊँचे भवनों तथा 500 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादनमुक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

8. चार मंजिल से अधिक तल अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचाई के भवनों और विशिष्ट भवन यथा—शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों

वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षानुसार अग्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम निर्धारित सेट बैंक के बिना किया गया निर्माण।

9. पूर्व निर्मित भवनो में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन/परिवर्धन अथवा पुर्ननिर्माण में स्थानीय अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना पूर्व निर्मित भवनों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन/परिवर्धन अथवा पुर्ननिर्माण में स्थानीय अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किया गया निर्माण।

10. हेरिटेज जोन, संरक्षित स्मारको तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र अथवा प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्र में भवन की ऊँचाई के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।

11. नगर पालिका परिषद शिकारपुर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 में निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था न होने पर किया गया निर्माण।

12. 300 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

13. राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय, नदी, नाले, आदि से आच्छादित भूमि पर किया गया निर्माण।

14. नगर पालिका परिषद शिकारपुर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 की अपेक्षानुसार कार्यात्मक भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना के बिना किया गया निर्माण।

15. जन-उपयोगी भवनों एवं सार्वजनिक सुविधा स्थलों के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, प्रयोज्यता तथा सुगम्यता हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षाओं के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।

16. मानचित्र में नगर पालिका परिषद शिकारपुर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 के अनुसार अनुमन्य निर्माण एवं अवैध निर्माण अलग-अलग दर्शाए जायेगे।

17. टिप्पणी-इस उपविधि में दी गयी दरो/शुल्को में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 10% प्रतिशत की वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।

16. शमन शुल्क की गणना-

1. यदि किसी मामले में शमनीय निर्माण एक से अधिक प्रकृति के अवैध निर्माण के अन्तर्गत आता है, तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकृति के अवैध निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तल हेतु शमन शुल्क की गणना अलग-अलग की जायेगी।

2. अवैध निर्माण के शमन हेतु निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र के साथ एकमुश्त अथवा ब्याज सहित किस्तों में जैसा अधिशासी अधिकारी/बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, जमा की जायेगी। साथ ही नगर पालिका द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क तथा अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शपथ-पत्र भी जमा किए जायेगे एवं तदुपरान्त ही मानचित्र शमन की कार्यवाही की जाएगी। शमन हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र पर स्वीकृति सम्बन्धी शर्त अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।

3. शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र के प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग जो शमनीय सीमान्तर्गत है, ध्वस्त नहीं किया जायेगा परन्तु अशमनीय भाग को नगर पालिका द्वारा विधि अनुसार ध्वस्त किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

4. अशमनीय भाग निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर हटाया जायेगा, अन्यथा नगर पालिका द्वारा ध्वस्त किया जायेगा तथा उसकी वसूली नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 6 में दी गयी रीति से निर्माणकर्ता से वसूली जायेगी।

17. सक्षम अधिकारी- इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

18. संशोधन— इस उपविधि में संशोधन नगर पालिका बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

19. निरसन— इस उपविधि के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

20. अर्थदण्ड— यदि कोई व्यक्ति इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पालिका को प्राप्त होगा लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नगर पालिका में प्रस्तुत कर सकेगा तथा नगर पालिका ऐसे मानचित्र को समझौता/शमन शुल्क आवासीय हेतु रु0 10,000/— तक व्यवसायिक हेतु रु0 20,000/— तक नियमित कर सकेगी।

राजबाला देवी
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, शिकारपुर
जनपद—बुलन्दशहर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शनि कुमार साहू पुत्र पप्पू साहू है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड, में अंकित है, त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में कहीं पर मेरा नाम शनि कुमार साहू तथा कहीं पर शनि कुमार अंकित हो गया है। दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शनि कुमार साहू पुत्र पप्पू साहू के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शनि कुमार साहू
पुत्र पप्पू साहू
पता—642 शाह उर्फ पीपलगांव झलवा,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पवन कुमार बिन्द पुत्र सत्यनारायण बिन्द है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7816 2980 1014 में मेरा नाम सत्यनारायण बिन्द अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पवन कुमार बिन्द पुत्र सत्यनारायण बिन्द के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार बिन्द,
नि0—ग्राम पियरीभीट, पोस्ट विजयपुर,
तहसील सदर, जनपद मीरजापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का सिंह (ANUSHKA SINGH) पुत्री त्रिभुवन सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित हैं मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अनुष्का सिंह से बदलकर अनु सिंह (ANU SINGH) रख लिया है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

त्रिभुवन सिंह,
पता—ग्राम व पोस्ट नरसिंहपुर,
कबरहा तहसील खागा,
जनपद—फतेहपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिनव कुमार पाल पुत्र हीरामणि पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-8531 6139 2887 में उसका नाम हर्ष अंकित हो गया है। जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिनव कुमार पाल पुत्र हीरामणि पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हीरामणि पाल,
पुत्र बाबूलाल पाल,
पता-कंसापुर पोस्ट ज्ञानपुर,
जिला संत रविदास नगर भदोही,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्नेहलता सिंह पुत्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 7701 0067 1960 में उसका नाम आस्था सिंह अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम स्नेहलता सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कौशलेन्द्र प्रताप सिंह,
पुत्र स्व० मंगल सिंह,
निवासी-ग्राम गोबर्धनपुर पोस्ट व थाना मानपुर,
जनपद सीतापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुराधा सिंह पुत्री देवराज सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

सं०-7442 5203 5975 में मेरा नाम अन्नु सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुराधा सिंह पुत्री देवराज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुराधा सिंह,
पता-ग्राम पुरे रामबक्स पिचुरा,
पो० रामगंज, थाना-सांगीपुर,
जिला-प्रतापगढ़।

सूचना

मैं, मो० नफीस पुत्र स्व० इकबाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला-गर्दाबाद, समधन जिला-कन्नौज 209722, मे० इकबाल मोहम्मद, मोहल्ला गर्दाबाद समधन जिला कन्नौज 209722 आपको उक्त फर्म के संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन की सूचना देता हूँ। मो० तारिक पुत्र स्व० इकबाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला-गर्दाबाद, समधन जिला-कन्नौज 209722, दिनांक 24 फरवरी, 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और फर्म चलाने के लिए शेष भागीदार दिनांक 25 फरवरी, 2025 को साझीदारी विलेख लागू करते हैं। ये फर्म दो साझीदारों के साथ चलती रहेगी। 1- मो० नफीस पुत्र स्व० इकबाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला-गर्दाबाद, समधन जिला कन्नौज 209722 02- मो० हाशिम पुत्र स्व० इकबाल मोहम्मद, निवासी मोहल्ला-गर्दाबाद, समधन जिला कन्नौज 209722 यही दोनों लोग उक्त फर्म में इकबाल मोहम्मद के साझीदार होंगे और भविष्य में चलाते रहेंगे।

मो० नफीस,
निवासी मोहल्ला-गर्दाबाद,
समधन जिला कन्नौज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स महेश चन्द कोन्ट्रेक्टर्स पता 9/36ए, सैक्टर-3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ०प्र० की पाटनर्सशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2006 को हुई जिसके अनुसार इसमें तीन साझेदार 1. महेश चन्द, 2. सुरेश कुमार त्यागी,

3. संजीव त्यागी थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 24 जनवरी, 2025 के अनुसार फर्म में दो नये साझेदार 1. शैकी त्यागी 2. सचिन त्यागी को आपसी सहमती से जोड़ा गया है। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 24 जनवरी, 2025 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में पाँच साझेदार रहेंगे। 1. महेश चन्द्र, 2. सुरेश कुमार त्यागी, 3. संजीव त्यागी 4. शैकी त्यागी 5. सचिन त्यागी, साझीदार रहेंगे।

महेश चन्द्र,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s A SQUARE INFRATECH पता-बी-102, मोदीपोन कालोनी, मोदीनगर, गाजियाबाद-201204 उ०प्र० पंजीकरण संख्या- GHA/0014460 की पार्टनरशिप डीड दि० 24 फरवरी, 2023 के साझीदार- श्री विकास दीक्षित, श्री सुमित बंसल थे। फर्म की Supplementary Partnership deed दिनांक-22 अप्रैल, 2025 के अनुसार साझीदार-श्री सुमित बंसल सेवानिवृत्त हुये हैं व श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा पुत्र स्व: चन्द्र भान शर्मा, पता- जे-99, शिवालिक नगर, बीएचईएल, रानीपुर, हरीद्वार-249403 नये साझीदार की हैसियत से सम्मिलित हुआ है। फर्म में वर्तमान साझीदार 1. श्री विकास दीक्षित, 2. श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा है। फर्म साझीदार श्री विकास दीक्षित का पता व फर्म का वर्तमान पता-खसरा न०-156, गली न० 03 निकट तहसील राधे एन्क्लेव फेस-II कादराबाद, गाजियाबाद उ०प्र०-201201 हो गया है।

विकास दीक्षित,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गोपाल आटो सर्विसेज पता बरेली टनकपुर रोड, जिला पीलीभीत जिसकी पंजीकरण सं०-B-9772 में साझेदार मिथलेश कुमारी पत्नी स्व: जगदीश सरन निवासी मोहल्ला साहूकारा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में दिनांक

01 जुलाई 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गयी है। सेवानिवृत्त के पश्चात मिथलेश कुमारी का फर्म पर व फर्म का मिथलेश कुमारी पर कोई शेष बकाया नहीं है। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल दो साझेदार कमशः 1- संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व: जगदीश सरन निवासी 21-ए बल्लभ नगर कोलोनी जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश एवं 2- सीमा अग्रवाल पत्नी श्री संजीव कुमार अग्रवाल निवासी 21-ए बल्लभ नगर कालोनी, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी है।

संजीव कुमार अग्रवाल,
साझेदार।

फर्म मेसर्स गोपाल आटो सर्विसेज,
पता बरेली टनकपुर रोड,
जिला पीलीभीत।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s PSH INFRA TECH, पता-Plot No-108 Shop No-27, Mahalaxmi Market Prakash Industrial Estate, Sahibabad, Ghaziabad-201005 U-P- पंजीकरण संख्या-GHA/0019374 की एग्रीमेन्ट मोडिफाईंग दि० पार्टनरशिप डीड (संशोधित डीड) दि० 31 दिसम्बर, 2022, प्रभावी दि० 01 जनवरी, 2023 के अनुसार पार्टनर-1- अनवेश गुप्ता 2- अंकित गोयल, 3- कपिल चौधरी थे। फर्म की Amendment partnership deed दिनांक- 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार M/s PSH Techno Engineering Private Limited, Add- Parashar Trade Tower, Plot No- BC-2 and BC-3, Shatabdi Nagar, Delhi Road, Meerut City, Meerut Uttar Pradesh-250004 द्वारा निदेशक Mrs- Alka Singhal को फर्म में पार्टनर बनाया गया है।

फर्म में वर्तमान साझीदार-1. अनवेश गुप्ता 2. अंकित गोयल, 3. कपिल चौधरी, 4. M/s PSH Techno Engineering Private Limited है।

अन्वेश गुप्ता,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० श्री साधना एसोसियेट्स, पुष्पा शर्मा फार्म हाउस, एन० एच० 2 ग्राम चरौरा नियर छटीकरा, मथुरा- 281001 फर्म में साझेदार श्रीमती पुष्पा शर्मा पुत्री श्री दाऊ दयाल शर्मा, श्री विजय कुमार द्विवेदी पुत्र श्री हरे कृष्ण द्विवेदी, श्री गोविन्द पाण्डेय पुत्र श्री मोहन कुमार पण्डित सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 03 जून, 2024 को संचालन की थी दिनांक 16 जून, 2025 श्री गोविन्द पाण्डेय पुत्र श्री मोहन कुमार पण्डित अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नहीं है अब फर्म को श्रीमती पुष्पा शर्मा, श्री विजय कुमार द्विवेदी संचालित करेंगे।

पुष्पा शर्मा,
साझेदार।

चौहान प्रथम एवं आदेश कुमार सिंह राजावत द्वितीय साझीदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार संजीव प्रताप सिंह चौहान दिनांक 02 अप्रैल, 2025 से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा भविष्य में इस फर्म से इनका कोई लेना-देना नहीं होगा एवं उनके स्थान पर समर्थ विक्रम सिंह चौहान को दिनांक 02 अप्रैल, 2025 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में समर्थ विक्रम सिंह चौहान प्रथम एवं आदेश कुमार सिंह राजावत द्वितीय साझीदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

आदेश कुमार सिंह राजावत,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० श्री साधना संगम, पुष्पा शर्मा फार्म हाउस, एन० एच० 2 ग्राम चरौरा नियर छटीकरा, मथुरा 281001 फर्म में साझेदार श्रीमती पुष्पा शर्मा पुत्री श्री दाऊ दयाल शर्मा, श्री विजय कुमार द्विवेदी पुत्र श्री हरे कृष्ण द्विवेदी, श्री गोविन्द पाण्डेय पुत्र श्री मोहन कुमार पण्डित सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 29 अप्रैल, 2024 को संचालन की थी दिनांक 16 जून, 2025 श्री गोविन्द पाण्डेय पुत्र श्री मोहन कुमार पण्डित अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नहीं है अब फर्म को श्रीमती पुष्पा शर्मा, श्री विजय कुमार द्विवेदी संचालित करेंगे।

पुष्पा शर्मा,
साझेदार।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स-आर० के० ट्रेडर्स, पंजीकृत पता जायस, जिला-रायबरेली रजिस्ट्रेशन सं० 186515 का पंजीकरण दिनांक 01 अगस्त, 2002 को कराया गया था जिसमें आर०के० अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल एवं रीता अग्रवाल साझीदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार आर०के० अग्रवाल का निधन दिनांक 18 मई, 2004 को हो गया है तथा उनके स्थान पर प्रसेश अग्रवाल निवासी-48 शेखाना वहाबगंज बाजार, जायस, कासिमपुर अमेठी को तृतीय साझेदार दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में प्रमोद अग्रवाल प्रथम, रीता अग्रवाल द्वितीय एवं प्रसेश अग्रवाल तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

प्रमोद अग्रवाल,
साझेदार।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स-चौहान एण्ड राजावत कान्सट्रक्शंस, नियर लक्ष्मी नारायन मन्दिर, मो०-हाथीपुर, जिला-लखीमपुर खीरी रजि० नं०-186043 का पंजीकरण दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 को कराया गया था जिसमें संजीव प्रताप सिंह

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स "विश्वास बिल्डटेक", 578/044 ए, गौरी-1, सरोजनी नगर, लखनऊ, उ०प्र० 226008 का पंजीकरण

दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को एवं संशोधन 06 अप्रैल, 2021 को कराया गया था। जिसका रजि० नं०—LUC/0002209 है। जिसमें रोहित अग्रवाल प्रथम, विमर्श कुमार रस्तोगी द्वितीय, दुर्गेश सिंह तृतीय, अभिषेक सिंह चतुर्थ, संतोष कुमार यादव पांचवे एवं श्रीमती मीरा देवी छठे साझेदार थे, जिसमें प्रथम साझेदार रोहित अग्रवाल फर्म की साझेदारी से हट गये हैं एवं चतुर्थ साझेदार अभिषेक सिंह का निधन दिनांक 23 अप्रैल 2021 को हो गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में विमलेश कुमार रस्तोगी प्रथम, दुर्गेश सिंह द्वितीय, संतोष कुमार यादव तृतीय एवं मीरा देवी रस्तोगी चतुर्थ साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

विमर्श कुमार रस्तोगी,
साझेदार,
मेसर्स—“विश्वास बिल्डटेक”।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आद्रिका पुत्री रामेन्द्र तिवारी है जो शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है किन्तु त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—6836 2687 0350 में उसका नाम सिमरन तिवारी अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आद्रिका पुत्री रामेन्द्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

रामेन्द्र तिवारी पुत्र स्व० नंद लाल तिवारी,
नि०—106एफ/01ए गणेश नगर,
म्योराबाद जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नैनीशिया यादव (NANISHIYA YADAV) पुत्री महेन्द्र सिंह यादव है जो उसके शैक्षिक

अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—6501 2309 4924 में उसका नाम मिष्ठी यादव अंकित हो गया है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नैनीशिया यादव (NANISHIYA YADAV) पुत्री महेन्द्र सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

अर्चना यादव,
पत्नी महेन्द्र सिंह,
नि० 381/155डी, कौशाम्बी मार्ग,
राजरूपपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद युसूफ खान (MOHAMMAD YUSUF KHAN) पुत्र राशिद खान है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—8390 2885 8422 में उसका नाम मोहम्मद रज़ा (MOHAMMAD RAZA) हो गया है जो कि गलत हैं भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद युसूफ खान (MOHAMMAD YUSUF KHAN) पुत्र श्री राशिद खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

सनोवर सुलतान,
पत्नी श्री राशिद खान,
31/24/26, बड़ा ताजिया,
जॉनसेनगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदित्री सोनी (ADITRI SONI) पुत्री विजय प्रकाश वर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—6302 8574 4961 में उसका नाम बेबी सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदित्री सोनी (ADITRI SONI) पुत्री विजय प्रकाश वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

नीलम सोनी पत्नी विजय प्रकाश वर्मा,
ग्राम रौतापार, पोस्ट—गांधीनगर,
जिला बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कवि सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—6682 4896 5861 में उसका नाम लोकेन्द्र सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कवि सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

मनोज कुमार सिंह,
पुत्र गोरख सिंह,
नि०—मकनपुर, असरावेकला,
तहसील सदर, जिला प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० एस गोपाल इण्डस्ट्रीज, ग्राम ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह कि दिनांक—01 मार्च, 2025 को श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र स्व० गौरीशंकर जैन निवासी—18/2 विभव नगर फिरोजाबाद, श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र स्व० गौरीशंकर जैन निवासी—उपरोक्त, श्रीमती संगीता जैन पत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन निवासी उपरोक्त श्रीमती दीपाली जैन पत्नी श्री प्रतीक जैन निवासी उपरोक्त, श्री शुभम उपाध्याय पुत्र श्री रमाकान्त उपाध्याय निवासी—7 विभव नगर हरी प्रेम निवास फिरोजाबाद, हिमान्यू उपाध्याय पुत्र श्री रमाकान्त उपाध्याय निवासी—उपरोक्त तथा बृजेश कुमार पुत्र श्री पन्ना लाल उपाध्याय, निवासी—हुसैनपुर, फिरोजाबाद को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त दिनांक को ही श्री प्रमोद कुमार गर्ग पुत्र स्व० रघुवीर सरन गर्ग निवासी—5/19 लाजपत कुन्ज, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, श्री विवेक गर्ग पुत्र श्री प्रमोद कुमार गर्ग निवासी—उपरोक्त, श्रीमती सुधा गर्ग पत्नी श्री प्रमोद कुमार गर्ग निवासी उपरोक्त तथा श्रीमती राधा गर्ग पत्नी श्री विवेक गर्ग निवासी उपरोक्त उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री अतुल अग्रवाल, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्रीमती दीपाली जैन, श्री शुभम उपाध्याय, श्री हिमान्यू उपाध्याय तथा श्री बृजेश कुमार साझेदार हैं।

अतुल अग्रवाल,
साझेदार,

मे० एस गोपाल इण्डस्ट्रीज,
ग्राम ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद।